

माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, खालियर.

(R-198-11/87)

1. लुणा पिता माना

2. मोहन पिता माना
दोनों निवासी बादिडी

3. हीरालाल फोट बाति

१११ कुंदीबाई पिछना हीरालाल

१२१ कांतीलाल पिता हीरालाल

१३१ भारतसिंह पिता हीरालाल

१४१ भागबंतीबाई पिता हीरालाल

१५१ बसंतीबाई पुत्री हीरालाल

१६१ दुर्गाबाई पुत्री हीरालाल

१७१ सविताबाई पुत्री हीरालाल

नाबालिगान बालक माता कुंदीबाई निवासी
बादिडी

4. मैनाबाई पति नाथूजी

निवासी-बोरदा तहसील-धार

5. रामीबाई पति मेमराज

निवासी-ओतरा तहसील धार

6. शीताबाई पति मेन्दालाल नि.

छटिया तहसील-धार

7. भूरीबाई पुत्री मानाजी, निवासी बादिडी

तहसील-सरदारपुर

-- अपीलान्ट

बिस्त

1. चतरभुज दत्तक पुत्र कंबरीबाई व भेराजी,

निवासी- बादिडी

2. रा भरतन पिता श्रीभाराम

निवासी-मानपुरा तहसील-बदनाबर -- रिस्वान्ठेन्ट.

राजस्व निगरानी धारा 50 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता के अंतर्गत

श्रीमान् अतु विभागीय अधिकारी सरदार

राज्य खालियर

13

कार्यालय कलेक्टर, धार
श्री. जी. एस. सोलंका
प्राची/अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत
16.7.87
दिनांक-

अधीक्षक.

66-11
13-10-87
श्रीमान् अतु

-: 2 :-

अपील क्रमांक 58/74-75 में दिनांक. 30-6-86 को पारित निर्णय से व्यथित होकर द्वितीय अपील क्रं. 388/85-86 न्यायालय अफर आयुक्त इन्दौर के तमाम प्रस्तुत की थी जो दिनांक 23-4-87 को निरस्त की गई। उक्त आदेश के विरुद्ध वर्तमान निगरानी निम्न एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत है :-

Amr

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

निष्पत्ति का प्रकार
प्रकार का नाम

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक... R-198-II/87... जिला... धार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17.11.2015	<p>उभय पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। आवेदकगण की ओर से श्री जी.एस. चौहान अभिभाषक ने दिनांक 16.7.87 को यह निगरानी प्रस्तुत की है, एवं से लगभग 28 वर्ष से भी आर्क का समय व्यतीत होने के उपरान्त कोई भी उपस्थित नहीं हुआ है। अतः पक्षकारों के प्रकरण के निराकरण में बाधे नहीं होने के कारण समाप्त किया जाता है।</p>	<p style="text-align: center;">अध्यक्ष</p>